

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 6

1. भाटापारा जिला बलौदाबाजार में 50 सीटर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास एवं ग्राम फास्टरपुर जिला मुंगेली में 50 सीटर पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की स्थापना हेतु ₹ 16.00 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन-बैंड/वेतनमान	ग्रेड-वेतन	पद संख्या
1	अधीक्षक/ शिक्षक (पंचायत)	9300-34800 4500-7000	4200	02
2.	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिकता स्थापना		06
3.	पूर्णकालिक स्वच्छक	आकस्मिकता स्थापना		02
योग-				10

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भाटापारा में 50 सीटर अनुसूचित जाति पोस्ट मै. कन्या छात्रावास एवं ग्राम फास्टरपुर जिला मुंगेली में 50 सीटर पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भोजन सहाय योजना हेतु ₹ 4.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में आवासरत् पात्र छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा हेतु ₹ 332.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 9

06 उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	एम.पी.डब्ल्यू पुरुष	5200-20200	1900	06
योग-				06

संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	जिला	विकासखण्ड	संस्था का नाम
1	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र भैसमुढी
2	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र चोरभट्टी
3	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र कुसलखुटा
4	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र सकरी
5	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र बाहनाकारी
6	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र चीचा

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2211

मद क्रमांक 10

06 उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	एम.पी.डब्ल्यू पुरुष	5200-20200	1900	06
योग-				06

संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	जिला	विकासखण्ड	संस्था का नाम
----	------	-----------	---------------

1	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र भैसमुढ़ी
2	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र चोरभट्टी
3	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र कुसलखुटा
4	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र सकरी
5	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र बाहनाकारी
6	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र चीचा

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 11 से 12

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल योजना का क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13 से 14

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 360.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15 से 20

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 21 से 25

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर -रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 26 से 27

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 28 से 33

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेकनालॉजी-सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 6.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 34 से 35

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत ₹ 204.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,04,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 36 से 37

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट (उद्यानिकी) योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 303.21 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,03,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 38

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन.एम.पी.एस.) 06 नवीन गोट क्लस्टर हेतु ₹ 47.52 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 47,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 39

मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा हेतु मछुआ बीमित प्रीमियम राशि में वृद्धि के फलस्वरूप ₹ 1.98 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 40 से 41

डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजनान्तर्गत (केन्द्रांश ₹ 51.852 लाख तथा राज्यांश ₹ 17.289 लाख) कुल राशि ₹ 69.141 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 69,14,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 42

मनरेगा अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व भत्ता हेतु राशि ₹ 192.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 43

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु विद्युत वितरण कंपनी को सहायता हेतु ₹ 2760.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 27,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 44

पो-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन के स्थान परिवर्तन हेतु ₹ 97.34 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

क्र	स्वीकृत भवन निर्माण कार्य का नाम/स्थान	परिवर्तन स्थान
1	पोस्ट मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन डबराभाट वि.ख. कवर्धा जिला कबीरधाम	50 सीटर प्राथमिक स्तर अनुसूचित जाति कन्या आश्रम डबराभाट वि.ख. कवर्धा जिला कबीरधाम

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45 से 46

पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए मशीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 160.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 47

06 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु ₹ 136.86 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	संस्था का नाम
1	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र भैसमुढी
2	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र चोरभट्टी
3	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र कुसलखुटा
4	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र सकरी
5	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र बाहनाकारी
6	रायपुर	आरंग	उप स्वा0 केन्द्र चीचा

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 48

नाबार्ड के ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत निम्नलिखित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाओं को शामिल किया गया है :-

1. विकासखण्ड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित 54 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना (लागत ₹ 6297.30 लाख) हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 49

महानदी पर मोहमेला-सिरपुर बैराज के निर्माण कार्य (लागत ₹ 130 करोड़) पर इस वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 50

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु राशि ₹ 1200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 51

नाबार्ड की सहायता से स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोदाम निर्माण पर ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 52

विद्युत उत्पादन कंपनी को पूंजीगत सहायता के रूप में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु ₹ 3000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।